न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2017 अपील

उनवान

श्री कन्हैया लाल उर्फ काना पिता देवा प्रजापत(कुम्हार) निवासी– पुर, त0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, जिला–भीलवाडा (राज0)

–– अपीलार्थी

––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार भीलवाडा, बमामले प्र0सं0 01/2016 निर्णय दिनांक 23.09.2016

उपस्थित :– श्री गोपाल अजमेरा एवं आदित्य नारायण अधि0 अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अधि0 अनुपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 29/05/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार भीलवाड़ा, बमामले प्रकरण संख्या 01/2016, निर्णय दिनांक 23.09.2016 के खिलाफ दिनांक 18.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम समोड़ी में स्थित बिलानाम आ0नं0 1148 रकबा 5.00 बीघा, पर नाजायज कब्जा होना बताकर बेदखली का आदेश एवं 113/–रूपये जुर्माने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दिनांक 23.09.2016 को पेशी के लिये तलब किया गया जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ लेकिन उस समय वहां सुनवाई करने वाले अधिकारी उपस्थित नहीं थे इसलिये प्रार्थी अपीलान्ट को कार्यालय से यह बताया गया कि आगे की जो भी कार्यवाही होगी उसे सूचित कर दिया जायेगा उसके बाद अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना ही दिनांक 23.09.2016 को आदेश बिना किसी सुनवाई के पारित कर गम्भीर त्रुटी की है। आदेश पारित किए जाने से पूर्व अपीलान्ट के कब्जे की स्थिति के सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल भी नहीं की गई एवं अपीलान्ट को जवाब का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का के कोई बयान भी नहीं हुए। साईक्लोस्टाईल आदेशिका पर ही निर्णय खाली स्थानों की पूर्ति करते हुए पारित कर दिया जो विधिक मस्तिष्क अपनाये बिना पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का वादग्रस्त जमीन पर अपने पिता अर्थात अपने पूर्वजों के समय से करीब सन् 1970 से लगातार कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का नियमन कराने का अधिकारी है। राज्य सरकार के कई दिशा निर्देश व परिपत्र है जिनके द्वारा इतने पुराने कब्जे को नियमन करने बाबत जारी किये है। अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर उस पर अपीलान्ट की काफी लागत लगी हुई है इस कारण अपीलान्ट को नियमन सम्बन्धित विकल्प प्रदान किया जाना चाहिये था जो नहीं

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पुनः कार्यवाही बाबत आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत है। अपीलान्ट को निर्णय जेर बहस की जानकारी दिनांक 06.01.2016 को ही हुई जब पटवार हल्का ने इस प्रकार के आदेश का हवाला देते हुए वादग्रस्त जमीन से कब्जा हटाने बाबत कहा तब अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में दिनांक 09.01.2017 को नकल बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11.01.2017 को निर्णय की नकल प्राप्त की एवं बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई जानकारी के अभाव में देरी को अपास्त करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बाबत बेदखली अपास्त फरमाते हुए विधि सम्मत सुनवाई करते हुए नियमन सम्बन्धित निर्देश प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाई जावे। अपील मेमों के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ–पत्र के प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.01.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अपील मेमों के साथ अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 23.09.2016 की प्रमाणित प्रति, पेनल्टी की रसीदें दिनांक 18.10.2016 एवं 03.01.1984 की फोटो प्रतियां पेश की। अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 01/2016 प्राप्त हुई । जिसमें आदेशिका दिनांक 10.06.2016 से 23.09.2016 तक संधारित है, पर्चा मौका पटवारी हल्का दरीबा दिनांक 25.04.2016, निर्णय दिनांक 23.09.2016 व रा0भू0राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के अन्तर्गत अपीलान्ट को जारी नोटिस दिनांक 29.12.2016 संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड उपलब्ध होने पर दिनांक 24/05/2017 को वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई बहस में वकील अपीलान्ट द्वारा बताया कि अपीलान्ट को जवाब का कोई मौका नही दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश जो पारित किया वह साईक्लोस्टाइल है जिसमें किसी प्रकार के विधिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है। अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा है जिससे नियमन की पात्रता रखता है । अतः अपील को स्वीकार किए जाने अथवा रिमाण्ड किए जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश के सम्बन्ध में पटवारी हल्का के द्वारा वादग्रस्त जमीन से कब्जा हटाने को कहा तो दिनांक 06.01.2016 को जानकारी होने पर दिनांक 09.01.2017 को आवेदन तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर नकलें प्राप्त की गई। अपीलान्ट ने दिनांक 11.01.2017 को आदेश की प्रतियां प्राप्त कर दिनांक 18. 01.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रतिशपथपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अब अपील मेमो के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2016 निर्णय दिनांक 23.09.2016 से नायब तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं जवाब का अवसर दिये बिना गलत आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के द्वारा अपने अपील पत्र में बिलानाम भूमि पर 5 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा बता कर बेदखली का आदेश पारित किया जाना अंकित किया परन्तु इसकी ताईद में कब्जा काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरी की कोई नकलें प्रस्तुत नहीं की गई मात्र पैनल्टी की रसीदें प्रस्तुत की है । इनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस आराजी नम्बर व कितने रकबे पर कब्जा व काश्त था । स्वयं अपीलान्ट वर्ष 1970 से कब्जा होना बताता है परन्तु उक्त कथन की ताईद में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संधारित आदेशिकाओं में अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर होना इस तथ्य की ताईद करता है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्ण जानकारी थी। पत्रावली में संलग्न पर्चामौका पटवारी हल्का दरीबा दिनांक 25.04.2016 के अनुसार ग्राम समोड़ी की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1148 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा किस्म चरागाह है जबकि अपीलान्ट ने अपनी अपील में इसे बिलानाम बताया है जो गलत है। जैसाकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.09.2016 में भी वादोक्त भूमि की किस्म चरागाह अंकित है। चरागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों में सम्मिलित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 व एसएलपी संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के अनुसार भी चरागाह भूमियों के आवंटन, नियमन को प्रतिबन्धित किया गया है। अपीलान्ट वादोक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं कर 20 गुणा 10 वर्गफीट भूमि पर होटल बनाकर वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। शेष भूमि पड़त होना पटवारी हल्का के पर्चामौका दिनांक 25.04.2016 से सुस्पष्ट होता है। अतः ग्राम समोड़ी की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1148 रकबा 7.02 बीघा में अपीलान्ट के विरूद्ध पारित बेदखली आदेश दिनांक 23.09.2016 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपील खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार भीलवाड़ा, बमामले प्र0सं0 01/2016 निर्णय दिनांक 23.09.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29/05/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाडा